न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 50/2019

अपीलार्थीगण– *बनाम* **उत्तरदाता–**

1. अर्जुनराम पुत्र जेठाराम
2. गोरखाराम पुत्र जेठाराम
3. नरपतराम पुत्र जेठाराम

जाति जाट निवासी हरियाला
मगरा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.10.2019 जो प्रकरण सं. 03/2019 मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंघल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भेराराम, नायब तहसीलदार, राजकीय पैरोकार उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 26/02/2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 03/2019 सरकार बनाम अर्जुनराम वगैरह मे पारित निर्णय दिनांक 10.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का बिशाला आगोर द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हरियाला मगरा के खसरा नम्बर 784/671 रकबा 05–00 बीघा गैर मुमकीन शमशान में से 02–10 बीघा व खसरा नम्बर 785/671 रकबा 1275–11 बीघा किस्म गैर मुमकीन पहाड़ सरकारी भूमि मे से 18–15 बीघा भूमि पर गैर सायलान अर्जुनराम, गोरखाराम, नरपतराम पि0 जेठाराम

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कौम जाट सा. हरियाला मगरा द्वारा बाड़ व तारबन्दी कर कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी ने उक्त रिपोर्ट में विशेष नोट में यह भी उल्लेखित किया कि अतिक्रमी बार–बार समझाईस के उपरांत पुनः अतिक्रमण किया है, गत वर्ष मु.न. 56/2018 दर्ज कर निर्णय दिनांक 26.10.2018 की पालना में दिनांक 14.12.2018 को बेदखल किया गया था, अतः आदतन अतिक्रमी है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल द्वारा अवैध कब्जा करना स्वीकार किया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(2) के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 10.10.2019 के द्वारा 64.00/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने के साथ–साथ दो माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने एवं विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स नें दिनांक 18.11.2019 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनी। अपीलांट्स अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं सिविल कारावास का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट्स की ओर से यह भी प्रकट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स की तलबी हेतु जारी नोटिस स्वयं अपीलांट्स से तामील होना कथन किया हैं जबकि नोटिस की पुश्त पर अपीलांट्स के कहीं हस्ताक्षर नहीं हैं, ऐसी स्थिति में बिना नोटिस विधिवत तामील कराये अपीलांट्स की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। इस बाबत अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जबकि विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उनकी अनुपस्थिति में किसी प्रकार की सजा के संबंध मे निर्णय नहीं सुनाया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही दर्ज कर लिया एवं इस बाबत मुर्तिब की गई मौका रिपोर्ट अपीलांट्स की अनुपस्थिति में एकपक्षीय तैयार की गई हैं। अपीलांट्स मुतनाजा भूमि के पडौस में अपनी पैतृक खातेदारी खेत खसरा नम्बर 625 रकबा 00-16 बीघा एवं खसरा नम्बर 737/633 रकबा 224-00 बीघा भूमि पर वक्त सैटलमेंट से काबिज हैं। अपीलांट्स के खातेदारी खेत एवं मुतनाजा गैर मुमकीन शमशान व पहाड़ की भूमि की पैमाईश में भिन्नता होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण बताया हैं। अपीलांट्स द्वारा विवादित भूमि के साथ अपीलांट्स की भूमि की पैमाईश में भिन्नता के कारण उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में नेखमबन्दी आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय दिनांक 25.06.2014 पारित हो गया हैं किन्तु हल्का पटवारी द्वारा नेखमबन्दी आदेश की आदिनांक पालना नहीं की हैं तथा बिना पैमाईश व नेखमबन्दी आदेश पालना अपीलांट्स को कथित रूप से अतिक्रमी अथवा

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

Ansh
जिला कलक्टर
बाडमेर

पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना कतई न्यायोचित नहीं होगा। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर के प्रकरण सं. 03 / 2019 में पारित अपीलाधीन निर्णय मय आदेश दिनांक 10.10.2019 अपास्त किये जाने का आदेश पारित करावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय पैरोकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट्स के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट्स द्वारा ग्राम हरियाला मगरा के खसरा नम्बर 784 / 671 रकबा 05–00 बीघा गैर मुमकीन शमशान में से 02–10 बीघा व खसरा नम्बर 785 / 671 रकबा 1275–11 बीघा किस्म गैर मुमकीन पहाड़ सरकारी भूमि मे से 18–15 बीघा भूमि पर गैर सायलान अर्जुनराम, गोरखाराम, नरपतराम पि0 जेठाराम कौम जाट सा. हरियाला मगरा द्वारा बाड़ व तारबन्दी कर कब्जा व अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट्स सं. 3 नरपतराम उपस्थित हुआ तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया हैं जिसके लिये तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन प्रकरण सं. 03 / 2019 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2019 के द्वारा अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया गया था। अपीलांट्स द्वारा इसी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा–काश्त करने पर अपीलांट्स पर जुर्माना अधिरोपित करने के साथ ही दो माह के सिविल कारावास से दण्डित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है तथा अपीलांट्स की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता एवं राजकीय पैरोकार के तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स ने अपनी पैतृक खातेदारी खेत खसरा नम्बर 625 रकबा 00–16

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बीघा एवं खसरा नम्बर 737/633 रकबा 224–00 बीघा भूमि पर वक्त सैटलमेंट से काबिज होना प्रकट किया है, किन्तु इसके सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे यह साबित हों कि अपीलांट्स का कब्जा विधिवत होकर मुतनाजा सरकारी भूमि पर नही हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु जारी नोटिस अपीलांट्स की जानकारी में आने पर अपीलांट सं. 3 नरपतराम स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं तथा मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण स्वीकार किया गया। इसी मुतनाता भूमि पर अपीलांट्स द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में भी अवैध रूप से काश्त कर कब्जा किया था जिस पर उसके विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर, सुनवाई उपरांत अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश दिनांक 26.10.2018 पारित किया गया एवं इस आदेश की पालना में दिनांक 14.12.2018 को मौके से बेदखल किया गया। इसके बावजूद भी अपीलांट्स द्वारा पश्चातवर्ती वर्ष में भी अतिक्रमण किया गया हैं जिसके संबंध मे उल्लेख किया है कि उनके खातेदारी खेत एवं सरकारी भूमि की पैमाईश में भिन्नता होने से हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन कार्यवाही प्रस्तुत की गई है, यह कथन विधि के प्रावधानों के समक्ष कतई क्षम्य एवं सुसंगत प्रतिरक्षण का आधार नही हो सकता हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वंय अपीलांट सं. 3 ने अतिक्रमण करना स्वीकार किया हैं यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इसके अलावा राजकीय पैरोकार ने दौरान सुनवाई प्रकट किया कि अपीलांट्स द्वारा गैर मुमकीन शमशान की भूमि पर अतिक्रमण किया गया एवं दिनांक 08.09.2019 को चम्पा देवी पत्नी रासींगाराम के देहान्त पर उसके शव का अंतिम संस्कार करने में अवरोध उत्पन्न किया गया, जिससे मौके पर कानून–व्यवस्था प्रभावित हुई हैं। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा न तो

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिये दो माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2019 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Ansh

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर